

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां, जिला  
जोधपुर

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या:- 36/2017  
पीठासीन अधिकारी:- रतनलाल रेगर, आर.ए.एस.

वादीगण:-

1. अण्ची देवी पत्नि मिराराम
2. रिङ्गमलराम पुत्र मिराराम
3. देवाराम पुत्र मिराराम
4. नेताराम पत्र मिराराम
5. गैपरराम पुत्र मिराराम
6. राजूराम पुत्र मिराराम
7. समुदेवी पत्नि मिराराम
8. गुड्डी देवी पुत्री मिराराम जाति विश्नोई निवासी जुड जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगण -

1. गोस्धनराम पुत्र भीयाराम जाति विश्नोई निवासी विनायकपुरा जिला जोधपुर
2. सोहनीदेवी पत्नि पाबुराम जाति विश्नोई निवासी जुड जिला जोधपुर।
3. तहसीलदार, बावडी
4. शाखा प्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा उम्मेदनगर।

उपरिस्थिति:-

1. श्री दिनेश मदेरणा वादीगण की और से।
2. श्री राजेश खीचड़ प्रतिवादीगण की और से।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 92 ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

-: निर्णय :-

दिनांक 22.01.2020

वादीगण ने एक वाद इस आशय का पेश किया कि, ग्राम जुड के खसरा नम्बर 211 रकबा 7.08 बीघा भूमि वादीगण के पूर्वजों द्वारा धरित पैत्रिक सम्पत्ति है, जिसमे वादीगण का बाई बर्थ हक अधिकार तथा कब्जा काश्त व स्वामित्व है, सम्वत् 2025 से 2028 की जमाबंदी की नकल साथ में पेश है। वादीगण के पति व



रतनलाल रेगर, सी.ओ.ओ.

पिता मीराराम को आज से करीब 20-22 वर्ष पहले 40000 अक्षर चालीस हजार रु. की कुछ समय के लिए आवश्यकता थी, इसलिये वादीगण के गांव के पडौसी विनायकपुरा भवाद निवासी प्रतिवादी संख्या 1 से 40000 अक्षर चालीस हजार रु. उधार लिए थे, उस समय वादीगण के पति व पिता मीराराम ने वादग्रस्त भूमि खेत खसरा नम्बर 211 रकबा 7.08 बीघा के असल कागजात पट्टा व पासबुक प्रतिवादी संख्या 1 के पास में गिरवी रखे थे एवं रूपये मय ब्याज वापिस अदा करने पर उक्त असल कागजात वापिस देने का मौखिक कॉल हुआ था। तीन चार वर्षों बाद वादीगण ने व उनके पिता व पति मीराराम ने प्रतिवादी संख्या 1 से प्राप्त की गई सम्पूर्ण राशि मय ब्याज के अदा कर दी थी एवं पूरा हिसाब चुकता कर दिया था। वादीगणने प्रतिवादी संख्या 1 से उक्त असल कागजात जो गिरवी रखे हुए थे वापिस मांगे तो आज कल आज कल देने का बहाना करता रहा। प्रतिवादी संख्या 1 कभी कहता कि शहर वाले मकान में पड़े है कभी कहता लॉकर में पड़े है और वह ट्रक लेकर बाहर चला जाता था जिससे वह लम्बे समय तक वापिस नहीं आता था। अंतिम समय में वादीगण के पिता व पति मीराराम बीमार हो जाने के कारण चलने फिरने में असमर्थ हो गये थे चूंकि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का ही कब्जा काशतथा इस कारण अंत में तंग आकर प्रतिवादी के पास गिरवी पड़े कागजात का ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आज से करीब तीन माह पहले वादीगण के उक्त खेत में प्रतिवादी संख दो अपने साथ में अन्य क लोगो को लेकर आये तथा खूट रोपने लगे तब वादीगण द्वारा मना करने पर उन्होंने बताया कि वादग्रस्त भूमि उन्होंने प्रतिवादी संख्या 1 से खरीद कर ल है तब वादीगण ने राजस्वरेकॉर्ड की जानकारी हासिल की तो ज्ञात हुआ कि प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण के पति व पिता मीराराम के जमी अंगुष्ठ निशान लगाकर किसी दूसरे व्यक्ति को उपपंजीयक कार्यालय में पेश करवादीगण की पुस्तैनी जमीन को फर्जी तरीके से कूट रचित दस्तावेज तैयार कर अपने पक्ष में बेचान नामा निष्पादित करवा लिया है जबकि वादग्रस्त भूमि का बेचानकरके कब्जा व काशत वादीगण के पति व पिता मीराराम ने अपने जीवन काल में प्रतिवादी संख्या 1 को कभी सुपुर्द नहीं किया था। वादग्रस्त भूमि पर कब्जा व काशत आज भी वादीगण का चला आ रहा है इसलिये राजस्व रेकॉर्ड की पूर्व में वादीगण को जानकारी नहीं थी। उक्त जानकारी होने पर वादीगण ने तुरन्त प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध कूट रचित दस्तावेज तैयार करने व वादीगण की वादग्रस्त भूमि अनुचित तरीके से हड़पने की कोशिश करने बाबत पुलिस थाना कडवड में मुकदमा दर्ज करवा दिया जो जैर अनुसंधान है।

वादीगण ने अपने वादपत्र में आगे बताया कि वादीगण के पति व पिता का आज से 7-8 वर्ष पहले देहांत हो चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने अवैध हस्तान्तरण के आधार पर प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में फर्जी व अनुचित तरीके से



*(Handwritten Signature)*  
**वहायक इन्स्पेक्टर, कानपुर**

कागजी बेचान नामा निष्पादित करवा दिया है जबकि वादग्रस्त भूमि का कब्जा काश्त आज भी वादीगण के पास में है। वादग्रस्त भूमि वादीगण के पति व पिता मीराराम की स्वअर्जित भूमि नहीं थी, बल्कि वादीगण के दादा पनाराम द्वारा धारित संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित भूमि थी, जिसमें पनाराम के तीनों पुत्रों का संयुक्त रूप से कब्जा व काश्त था, इस कारण पैत्रिक भूमि में वादीगण का जन्म से ही हक हिस्सा व अधिकार था। प्रथम तो वादीगण के पिता व पति मीराराम ने वादग्रस्त भूमि का कभी कोई बेचान नहीं किया था तथाकथित बेचाननामा कूट रचित व फर्जी है इसके अलावायदि उक्त बेचाननामा को यदि वैध भी माना जाता है तो वादीगण के पिता व पति मीराराम का वादग्रस्त भूमि पैत्रिक होने के कारण उसका 1/9 हिस्सा बनता है तथा 8/9 हिस्सा वादीगण का बनता है इसलिये मीराराम को 1/9 हिस्से अधिक भूमि का बेचान करने का कोई हक व अधिकार नहीं था। इस कारण वादीगण मीराराम द्वारा सम्पूर्ण भूमि के तथाकथित बेचान नामे को अपने 8/9 हिस्से तक नल एण्ड वोर्ड होने के कारण उसे वादीगण अपने हक व अधिकारों तक शून्य प्रभावी घोषित कराने के अधिकारी है तथा वादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि अपने नाम से घोषित करवाने के अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि वादीगण की पुस्तैनी होने तथा बेचान नामा कूटरचित व फर्जी होने तथा मौके पर वादीगण का कब्जा काश्त होने के कारण वादीगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध रथाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैत्रिक भूमि होने तथा उक्त भूमि में वादीगण का बाई बर्थ हक हिस्सा होने एवं उक्त भूमि में वादीगण के पिता व पति मीरारामको 1/9 हिस्से से अधिक भूमि का बेचान फरोक्त करने का कोई हक व अधिकार नहीं हो से एवं उक्त भूमि पर वादीगण का कदीमी शांति पूर्वक आज तक कब्जा काश्त होने से एवं प्रतिवादीगण का कोई कब्जा काश्त नहीं होने से प्रथम दृष्ट या सुदृढ मामला वादीगण के हक में बनता है। वादग्रस्त भूमि में वादीगण का कदीमी शांति पूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादीगण द्वारा कूट रचित तथाकथित बेचाननामा के आधार पर यदि वादीगण को बेदखल कर कब्जा कर लिया तो वादीगण को अपूरणीय क्षति होगी, दावा मुकदमा की बहुलता बढ़ जायेगी, जिसकी क्षति पूर्ति रूपयों पैसों में नहीं की जा सकेगी। सूविधा का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में बनता है।

अतः ग्राम जुड के खसरा नम्बर 211 रकबा 7.08 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किये गये तथाकथित बेचान नामा को सम्पूर्ण अथवा 8/9 हिस्से का बेचान नामा वादीगण के हक हितों के खिलाफ शून्य प्रभावी घोषित किया जाकर उक्त भूमि वादीगण के नाम से खातेदारी की घोषित किये जाने की डिक्ली बहक वादीगण बर खिलाफ प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावे।



*(Handwritten signature)*  
 न्यायाधीश, बिकानेर

वाद पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा आदेशिका दिनांक 21.03.2018 अनुसार एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.डी.सी. का पेश कर अवगत करवाया कि वादीगण ने एक रथाई निषधाज्ञा व खातेदारी धारण हेतु न्यायालय हाजा में वाद प्रस्तुत कर रखा है। जिसके वाद पदों में स्पष्ट किया कि ग्राम जुड़ के खसरा नम्बर 221 रकबा 7.08 बीघा भूमि प्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा धारित पेतृक भूमि है तथा कूट रचित दस्तावेज तैयार करके कर्जी अंगूठा निशान लगवाकर अपने नाम कर ली तथा जमीनरा सबधित मूल कागजात पदना पालाकु इत्यादि अप्रार्थी संख्या 1 के पास गिरवी रखे हुए थे। जिसकी आड़ में कर्जी अंगूठा निशान लगवाकर दूसरे व्यक्ति को उप पंजीयक कार्यालय के पेश करके कर्जी तरीके से पुरतैनी जमीन को अपने नाम निष्पादित करवा लिया। जो शून्य घोषित की जावे तथा वादीगण को राजस्व रिकार्ड की जानकारी तब हासिल हुई जब राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त की तथा बेचान नामा को शून्य व निरस्त करने हेतु निवेदन किया। माननीय न्यायालय को पंजीकृत दस्तावेज को शून्य करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। जो माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आकर के श्रीमान सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है इसलिये वादीगण का वाद काबिले खारिज के योग्य है। वादीगण संख्या 2 जो वर्तमान में ग्राम पंचायत जुड़ का सरपंच है तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा बेचान करने के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 2 के नाम जो नामान्तरकरण संख्या 1534 ग्राम पंचायत जुड़ द्वारा बैठक दिनांक 18.10.2015 को प्रस्ताव संख्या 1 सर्व सहमति से वर्तमान सरपंच व वादी संख्या 2 ने स्वीकृत किया यानि वादीगण एक जागरूक जनप्रतिनिधि होते हुए भी अपने पिता द्वारा बेचान की गई भूमि की सम्पूर्ण जानकारी रखता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा बेचान की गई भूमि का नामान्तरकरण ग्राम पंचायत में स्वयं द्वारा पारित किया गया ग्राम पंचायत अपने आप में एक न्यायालय है। जो प्रतिवादी संख्या 1 इसका मुख्या है यानि वाद में वर्णित भूमि की सम्पूर्ण जानकारी वादीगण के पिता स्व. मीराराम द्वारा पूर्व बेचान की जानकारी थी, परंतु मूल वाद में वाद का जो कारण बताया गया है वो सारहीन होने के कारण वादीगण का वाद काबिले खारिज है। वादीगण के पूर्वजों की भूमि खसरा नम्बर 211 के अलावा अन्य खातेदारी भूमि भी ग्राम जुड़ में खसरा नम्बर 37/1, 231/2 कुल रकबा 31.15 बीघा व अन्य खसरो की खातेदारी वादीगण के नाम की खातेदारी भूमि आई हुई है जिसमें नेशनल रोडर से वादीगण के हिस्से से अधिक भूमि होने के कारण भी वादी के पिता द्वारा पूर्व में बेचान की गई भूमि में से किसी प्रकार का हक हकूक मांगने का कोई अधिकार नहीं बनता है।




*(Signature)*  
**वकायत इस्लाम, जहानपुर**

वादीगण का कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ क्योंकि भूमि बेचान की पूर्ण जानकारी वादीगण को थी तथा वाद संख्या 2 ने जो वर्तमान में सरपंच है उसने नामान्तरकरण स्वीकृत किया तथा पैतृक होती तो यह नामान्तरकरण स्वीकृत न करके अस्वीकृत भी कर सकते थे इस कारण कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ। वादीगण द्वारा बनावटी तौर पर झूठा वाद कारण वाद पत्र में उल्लेख किया है। इस प्रकार वाद कारण के अभाव में वादीगण का वाद काबिल खारिज है। जो इस प्रकार माननीय न्यायालय हाजा को इस वाद बाबत सुनवाई कर निर्णय पारित करने का क्षेत्राधिकार नहीं है जो वादीगण द्वारा फर्जी बेचान नामे को शून्य करने की मांग की गई। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जावे।

वादीगण ने उपरोक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर बताया कि वादीगण द्वारा ग्राम जुड़ के खसरा नम्बर 211 रकबा 7.08 बीघा भूमि के खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है। उक्त भूमि वादीगण की पैतृक पुस्तैनी कृषि भूमि है जिस पर वादीगण का जन्म से अधिकार है। वादीगण के पिता मीराराम द्वारा बेचान बताते हुए उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गई। विवादग्रस्त भूमि मीराराम की स्व. अर्जीत कृषि भूमि नहीं थी बल्कि पैतृक पुस्तैनी कृषि भूमि है, इस कारण मीराराम के सम्पूर्ण खसारे का बेचान कानूनन कर ही नहीं सकते थे इस कारण वादीगण द्वारा माननीय न्यायालय में पैतृक पुस्तैनी कृषि भूमि होने से वादीगण के हिस्से तक प्रतिवादीगण के पक्ष में हुए बेचान को शून्य घोषित करवाने की तथा खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का वाद माननीय न्यायालय में पेश किया है, जिसको राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 207 की अनुसूचित 3 के अनुसार माननीय न्यायालय को ही सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। धारा 207 के अनुसार उक्त वाद की सुनवाई केवल राजस्व न्यायालय ही कर सकता है सिविल न्यायालय को कृषि भूमि से संबंधित घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि का कब्जा कभी सुपुर्द नहीं किया गया। इस प्रकरण को सुनने का अधिकार इसी न्यायालय को है, इसलिये प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

बहस उभय पक्ष सुनी गई, वकील प्रतिवादीगण द्वारा अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तथ्यों को दोहराते हुए अपने प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर वादीगण का वाद खारिज करने का निवेदन किया गया तथा वकील वादीगण ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वकील प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया।



  
जुज, जयपुर, जयपुर

मैंने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकॉर्ड में ऐसा कोई दस्तावेज वादीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे प्रथम दृष्ट्या वादग्रस्त भूमि मीराराम की स्वअर्जित नहीं होकर पैत्रिक भूमि हो। इसके अलावा यह स्वीकृत तथ्य है कि वादग्रस्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड बेचान से विक्रय की गई है। उक्त बेचान नामा सन् 1993 में पंजीबद्ध होना बताया गया है, उक्त पंजीबद्ध बेचान को वादीगण द्वारा आज तक सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवाया गया है, आज दिनांक को प्रभावशील है, किसी सिविल न्यायालय द्वारा खारिज नहीं किया गया। इस न्यायालय को रजिस्टर्ड बेचान को निरस्त या खारिज करने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार नहीं है। इसलिये उक्त बेचान नामा सक्षम न्यायालय निरस्त नहीं कर दिया जाता है तब तक इस न्यायालय को खातेदारी घोषणा का अधिकार नहीं है। उक्त वाद में किये गये अभिवचन के अनुसार इस न्यायालय में यह वाद विधि द्वारा वर्जित है तथा वादीगण को यह वाद इस न्यायालय में प्रस्तुत करने का कोई बिनाय दावा भी पैदा नहीं होता है, इसलिये वादीगण का यह वाद आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज किये जाने योग्य है।

—:आदेश:—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादीगण द्वारा आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र युक्तियुक्त आधारों पर होने से तथा वादीगण द्वारा तथ्यों को खण्डित नहीं करने कारण स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22-01-2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।



(रतनलाल शर्मा)  
जज (अपेक्षित) अधिकारी ओसियां